

फर्द अहकाम  
सत्यनारायण vs हरिराम

नाम न्यायालय - उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या 2/2023/T-I

क्र.स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/24	पत्रावली पेश हुई है। अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 8/2/24 को पेश है।	
	8/2/24	पत्रावली पेश हुई है। अन्य राज कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 15/2/24 को पेश है।	
	15/2/24	पक्षकारान के वकील उपस्थित है। आज भी ओ. पाहव अवकाश/द्वै पर है। पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 29/2/24 को पेश है।	
	29/2/24	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप 01 वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गम पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। मनन करने पर मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन, अपूर्ण प्रकृति प्रतिक है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद के निस्तारण तक आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजी ख. नं. 411/15, 412/15 का रकबा 0.7334 हेक्टे. व रकबा 2.0232 हेक्टे. भूमि वाके ग्राम लाखवास तह. जागी जिला डूडू में स्थित आराजीयात में प्रार्थीगण के कठजेकाशत में किसी प्रकार की दखलान्दाजी न करें। पत्रावली केवल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो। मूलवाद के साथ हमफिता रहे।	

उपखण्ड अधिकारी  
फागी, जिला - डूडू